

D. G. (South)

Date..... 29/6/10

Diary No..... 10905

रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003-05

भारत सरकार

REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA


दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 17 | दिल्ली, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2010, बृहस्पतिवार/वैशाख 3—वैशाख 9, 1932 [रा.रा.क्ष.दि. सं. 22,24,27]
No. 17 | DELHI, APRIL 23—APRIL 29, 2010, THURSDAY/VAISHAKHA 3—VAISHAKHA 9, 1932 | N.C.T.D. Nos. 22,24,27 |

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

(कार्यालय : पंजीयक सहकारी समितियां)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2010

सं. फा. स वि/03/स.अ./उत्तर/सह./422.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम -3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, रिवियेरा अपार्टमेंट्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग समिति (03/अ.) की धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 11-09-2010 तक बढ़ाई जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उसके नाम पर,

वी. एस. रावत, संयुक्त सचिव (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE

(Office of the Registrar Cooperative Societies)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2010

No. F. RCS/03 (H)/ROCHS/AR (N)/Coop./422.— In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Riviera Apartment Owners Cooperative Society Ltd. (03/H) from the provisions of Section 37 (1) (b) and accordingly extended appointment of the term of Administrator of the said society up to 11-09-2010.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. S. RAWAT, Jt. Secy. (Cooperative)

1177/cob
22/06/10
Adm

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण**आदेश**

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2010

सं. फा. 10 (1156)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/388.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 5,52,00,00,000 मूल्य के अन्सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्प्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00001840 (सीरीज 63) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY**ORDER**

Delhi, the 19th April, 2010

F. No. 10(1156)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/388.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 5,52,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 63 bearing distinctive Nos. 00000001 to 00001840 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

फा. सं. 10 (1165)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/406.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्योसेरा मिता इंडिया प्रा.लि., के-43, दूसरी मंजिल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 द्वारा जारी किए जाने

वाले रूपए 4,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट जिनकी पृथक संख्या एन-1,00,00,001 से एन-1,45,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 45,000 (रुपए पैंतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th April, 2010

F. No. 10(1165)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/406.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kyocera Mita India Pvt. Ltd., K-43, 2nd Floor, Jangpura Extension, New Delhi-110014 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 45,000 (Rs. Forty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,50,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. N-1,00,00,001 to N-1,45,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

फा. सं. 10 (1162)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/424.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मीरा एग्जिम लि., 523-524, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 7,86,56,000 मूल्य के कनवर्टेबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या डी-0001 से डी 786560 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,96,640 (रुपए एक लाख छयानबे हजार छः सौ चालीस) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 21st April, 2010

F. No. 10(1162)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/424.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mira Exim Limited, 523-524, World Trade Centre, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,96,640 (Rs. One Lac Ninety Six Thousand Six Hundred Forty) only on the aggregate value of debentures of Rs. 7,86,56,000 for issue of Convertible Debentures bearing distinctive No. D 0001 to D 786560 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1170)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/429.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फेकोर पावर लि., कोर्पोरेट वन, सूट नं. 401, प्लॉट नं. 5, जसोला, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 11,48,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,18,86,606 से 5,33,66,605 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,14,800 (रुपए एक लाख चौदह हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1170)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/429.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Facor Power Limited, Corporate One, Suit 401, Plot No. 5, Jasola, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,14,800 (Rs. One Lac Fourteen Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,48,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 4,18,86,606 to 5,33,66,605 to be issued by the said company.

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2010

सं. फा. 10 (1184)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/455.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या ग्लोबल स्टील ट्यूब्स लि., 302, तीसरी मंजिल, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 30,50,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,25,55,001 से 9,30,55,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3,05,000/- (रुपए तीन लाख पांच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 22nd April, 2010

F. No. 10(1184)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/455.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E),

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Global Steel Tubes Limited, 302, 3rd floor, Padma Tower-I, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,05,000 (Rs. Three Lac Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,50,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 62555001 to 93055000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1196)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/459.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लिलीपुट किड्सवियर लि., डी-95, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेस-एक, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 49,87,62,833 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,36,18,400 से 2,52,65,678 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 4,98,768 (रुपए चार लाख नित्यानबे हजार सात सौ अडसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1196)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/459.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lilliput Kidswear Limited, D-95, Phase-I, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,98,768/- (Rs. Four Lac Ninety Eight Thousand Seven Hundred Sixty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 49,87,62,833- for equity Share certificates with distinctive Nos. 23618400 to 25265678 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1181)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/460.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अलीसन ट्रांसमिशन इंडिया प्रा. लि., 202-206 टाल्सटाय हाउस, 15 टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 20,58,75,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 38903726 से 59491225 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2,05,875/- (रुपए दो लाख पांच हजार आठ सौ पिछहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1181)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/460.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Allison Transmission India Private Limited, 202-206, Tolstoy House, 15 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,05,875 (Rs. Two Lac Five Thousand Eight Hundred Seventy Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,58,75,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 38903726 to 59491225 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1169)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/461.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विस प्रा. लि., 11, संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 30,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 660000003 से 690000002 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3,00,000 (रुपए तीन लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1169)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/461.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd., SBI, Local Head Office, 11 Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,00,000/- (Rs. Three Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,00,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 660000003 to 690000002 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1171)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/462.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इलाइट होम्स प्रा. लि., एम-5/बी-1/1, नानी वाला बाग, गुप्ता टावर, आजाद पुर, दिल्ली-110053 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,91,80,500/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी

पृथक संख्या 510001 से 3428050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 29,181/- (रुपए उनतीस हजार एक सौ इक्यासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1171)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/462.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Elite Homes Private Limited, M-5/B-1/1, Nani Wala Bagh, Gupta Tower, Azadpur, New Delhi-110033 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 29,181/- (Rs. Twenty Nine Thousand One Hundred Eighty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,91,80,500/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 510001 to 3428050 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (990)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/463.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडो गोल्ड रिसोर्सिज प्रा. लि., के. ऑफ विजय के. गोयल, एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट, ग्राउंड फ्लोर, डी-94, पांडव नगर, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,70,42,350/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000010001 से 003714235 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 37043/- (रुपए सैंतीस हजार तैतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(990)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/463.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indo Gold Resources Private Limited, C/o Vijay K. Goel & Co., Chartered Accountant, GF, D-94, Pandav Nagar, Delhi-92 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 37043/- (Rs. Thirty Seven Thousand Forty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,70,42,350 for equity Share certificates with distinctive Nos. 000010001 to 003714235 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1163)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/464.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बनारस हाउस इन्जीनियरिंग प्रा.लि., फ्लैट नं. 1114, ग्यारहवीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 5,35,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 033940001 से 039290000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 53500 (रूपए तिरपन हजार पांच सौ) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1163)/COS(HQ)/Cons. Duty 464.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Banaras House Engineering Private Limited, Flat No. 1114, 11th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 53,500 (Rs. Fifty Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,35,00,000 for Preference Share Certificates with distinctive Nos. 033940001 to 039290000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority,
Govt. of National Capital Territory of Delhi
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

सं. फा. 18/31/2006/गृह (सामान्य)/1907.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अजय कुमार अरोड़ा, तहसीलदार, (सिविल लाईन) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd April, 2010

No. F.18/31/2006-Home (G)/-1907.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Arora, Tehsildar (Civil Lines) to be the executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the post of Tehsildar or till further orders, whichever is earlier.

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2010

सं. फा. 4/2/2003/गृह (सामान्य)/1967.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री हुकुम सिंह एवम श्री अमर सिंह, तदर्थ दानिक्स अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (प्रीत विहार एवम सीलमपुर) क्रमशः को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. एम. जैन, उप सचिव गृह (सामान्य)

Delhi, the 28th, April, 2010

No. F. 4/2/2003-Home (G)/1967.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Hukum Singh & Shri Amar Singh, Ad-hoc Danics Officers presently working as SDMs (Preet Vihar & Seelam Pur) respectively to be the Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time they holds the post of Tehsildar or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
B. M. JAIN, Dy. Secy. Home (General)

1631 25/10-2